



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, सोमवार, 18 मई, 2020

बैशाख 28, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
राज्य कर अनुभाग-2

संख्या 440/ग्यारह-2-9(42)-17-उ०प्र० जी०एस०टी०नियम-2017-आदेश(122)-2020

लखनऊ, 18 मई, 2020

अधिसूचना

प०आ०-125

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, एतद्वारा उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली, 2017 का अग्रतर संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं, अर्थात् :-

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (उनतालीसवां संशोधन) नियमावली, 2020

1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (उनतालीसवां संशोधन) संक्षिप्त नाम
नियमावली, 2020 कही जायेगी। और प्रारम्भ

(2) अन्यथा उपबंधित के सिवाय यह गजट में प्रकाशित किये जाने की तारीख से प्रवृत्त होगी।

2- उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली, 2017 (जिसे आगे उक्त नियमावली नियम 3 का
कहा गया है) नियम 3 में, उपनियम (3) में, 31 मार्च, 2020 से, निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया संशोधन
जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए धारा 10 के अधीन कर संदाय करने का विकल्प लेता है, प्रत्यक्ष रूप से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केंद्र के माध्यम से सामान्य पोर्टल पर सम्यक रूप से हस्ताक्षरित या इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के माध्यम से सत्यापित प्ररूप जीएसटी सीएमपी-02 में सूचना को 30 जून, 2020 को या उससे पूर्व फाइल करेगा और नियम 44 के उपनियम (4) के उपबंधों के अनुसार प्ररूप जीएसटी आईटीसी-3 में विवरण 31 जुलाई, 2020 तक प्रस्तुत करेगा।"

नियम 36 का
संशोधन

3-उक्त नियमावली में, नियम 36 के उप-नियम (4) में, निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :-

"परन्तु कि उक्त शर्त फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, 2020 की अवधि के लिए संचयी रूप से लागू होगी और सितम्बर, 2020 की कर अवधि के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख की विवरणी, उक्त महीनों के इनपुट कर प्रत्यय का संचयी रूप से समायोजन के साथ, उपर्युक्त शर्तों के अनुसार प्रस्तुत की जाएगी।"

आज्ञा से,
आलोक सिन्हा,
अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 440/XI-2-9(42)-17-U.P. GST Rules-2017-Order(122)-2020, dated May 18, 2020:

No. 440/XI-2-9(42)-17-U.P. GST Rules-2017-Order(122)-2020

Dated Lucknow, May 18, 2020

IN exercise of the powers conferred by section 164 of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (U.P. Act no.1 of 2017) the Governor, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:-

UTTAR PRADESH GOODS AND SERVICES TAX (THIRTY NINTH AMENDMENT) RULES, 2020

Short title and
commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Goods and Services Tax (Thirty Ninth Amendment) Rules, 2020.

(2) Save as otherwise provided, they shall come into force with effect from the date of their publication in the *Gazette*.

Amendment
of
rule 3

2. In the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), with effect from the 31st March, 2020, in sub-rule (3) of rule 3, the following proviso shall be *inserted*, namely :-

"Provided that any registered person who opts to pay tax under section 10 for the financial year 2020-21 shall electronically file an intimation in FORM GST CMP-02, duly signed or verified through electronic verification code, on the common portal, either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner, on or before 30th day of June 2020 and shall furnish the statement in FORM GST ITC-03 in accordance with the provisions of sub-rule (4) of rule 44 upto the 31st day of July, 2020."

Amendment
of
rule 36

3. In the said rules, in sub-rule (4) of rule 36, the following proviso shall be *inserted*, namely:-

"Provided that the said condition shall apply cumulatively for the period February, March, April, May, June, July and August, 2020 and the return in FORM GSTR-3B for the tax period September, 2020 shall be furnished with the cumulative adjustment of input tax credit for the said months in accordance with the condition above."

By order,
ALOK SINHA,
Apar Mukhya Sachiv.

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 77 राजपत्र-2020-(152)-599 प्रतियां (क0/टी0/आ0)।

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 23 सा0 राज्य कर-2020-(153)-3500 प्रतियां (क0/टी0/आ0)।